राजस्व वाद संख्या:—173/2019
महावीर सिंह वगै0 बनाम उमेश सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:— 15.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती सुमन देवी ΙΙ(आर.ए.एस.)

मु0नं0 173/2019

01. महावीर सिंह पुत्र श्री भवंरसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी. खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

02. रोहिताश सिंह पुत्र श्री मांगूसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

03. रणजीत सिंह पुत्र श्री मांगूसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

04. प्रताप सिंह पुत्र श्री मांगूसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

——वादीगण

बनाम

01. उमेश सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

02. ओमसिंह पुत्र श्री उदमसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

03. राजकुमारी पत्नि श्री गुदड़सिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

04. सरजीत पुत्र श्री गुदड़सिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

05. सीमा पुत्री श्री गुदड़सिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

06. पानसिंह पुत्र श्री भवंरसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०) ।

07. गुमान सिंह पुत्र श्री उदमसिंह उम्र व्यस्क जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

08. दातारसिंह पुत्र श्री पदमसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

09. प्रेमकंवर सिंह पुत्री श्री उदयसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

10. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री पदमसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)।

11. भंवरदेवी पत्नि स्व० श्री नानूसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

12. मुन्शी सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राज0

13. रणवीर सिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

14. रतनसिंह पुत्र श्री रामकुमार सिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

15. राजबाला पत्नि श्री भवानीसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

16. विक्रमसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

17. विनोद कवंर पुत्री श्री उदयसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

18. हरनाथ सिंह पुत्र श्री रामकुमारसिंह, उम्र व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी खुडानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू (राज०)।

19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज०)।

------प्रतिवादीगण

उपस्थितः— वादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती यह कि . यह कि ग्राम खुडानिया तहसील सूरजगढ़ में खसरा नम्बर 239 रकबा 1. 83, हैक्टर, खसरा स० 240 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा स० 249 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा स० 402 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा स० 427 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा स० 423 रकबा 0.23 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.89 हैक्टर है। उक्त वादग्रस्त आराजियत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की है।

यह कि उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। रूड़सिंह की पत्नी जंगम कंवर के हिस्से में 1ध्3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त हुई रूड़सिंह की पत्नी उगंम की बुढ़ापे में वादी संख्या 1 महावीर सिंह व वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता मांगूसिह ने उगंम कंवर की सेवा सुश्रुवा की थी तथा महावीरसिंह व मांगूसिंह ने उंगम कवर के हिस्से की जमीन भी काश्त करते थे तथा अन्य सभी प्रकार की रस्म भी महावीरसिंह व मांगूसिंह ने एक पुत्र की तरह निभाई है। इस प्रकार उगंन कवंर ने उक्त हिस्से पर महावीर सिंह व मांगूसिह को अपने जीवनकाल से ही काबिज काश्त करा दिया था।

यह कि स्व. उगम कंवर का स्वर्गवास 30.06.1986 वादवर्णित भूमि में स्व. उगंम कंवर का हिस्सा 1/3 है० है जिस पर महावीरसिंह स्वयं व मांगूसिंह के फोत होने पर उनके पुत्र वादी स० 2 लगायत 4 संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है उक्त कृषि भूमि में किसी अन्य का कोई हिस्सा नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह कि उगंम कवंर ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण ने प्रतिवादी स० 3 के पिता को अपना हिस्सा 1/3 को मौखिक रूप से अपनी सेवा सुश्रुवा से खुश होकर प्रदान कर दिया जिसमें सभी प्रतिवादीगण की सहमति रही है। वादी स० 1 व वादी स० 2 लगायत 4 के पिता उगंम कवंर द्वारा अपना हिस्सा 1/3 बराबर–बराबर देने पर वादीगण एंव वादी स० 2 लगायत 4 को विरासत में प्राप्त हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उगंम कवंर द्वारा बराबर–बराबर हिस्सा वादी स० 1 व 2 लगायत 4 को प्राप्त होने की जानकारी प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण को है।

यह कि उगंम कंवर के फोत होने के बाद उनके हिस्से की 1⁄3 भूमि को वादीगण आधी आधी वादी स० 1 व 2 लगायत 4 जिस प्रकार उगम कंवर के जीवन काल में काश्त करते थे उसी प्रकार कब्जा काश्त रहे। मांगुसिंह के फोत होने के बाद उनके वारिसान उगंम कंवर से प्राप्त भूमि में अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहे। उगंम कंवर से प्राप्त हिस्से को वादीगण अपने नाम नामांतरण करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय 15.11.2019 को गये तब राजस्व अधिकारियों ने कहा कि उक्त भूमि का नामांतरण हम न्यायालय के आदेश व डिक्री के अनुसार ही कर सकते हैं। इस लिए न्यायालय हाजा में कारण वाद 15.11.2019 को पैदा हुआ।

यह कि श्रीमान् तहसीलदार के विरूद्ध न्यायालय में दावा पेश करने से पहले धारा 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु दावा आवश्यक प्रकृति का होने से दावा पेश करने हेतु माननीय न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र दावा पेश करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद न्यायालय श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ़ प्रतिवादीगण के इस आशय का डिक्री फरमाया जाये कि वाद वर्णित अराजियत मौका ग्राम खुडानिया तहसील सूरजगढ़ में खसरा नम्बर 239 रकबा 1.83 हैक्टर, खसरा स० 240 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा स० 249 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा स० 402 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा स० 427 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा स० 428 रकबा 0.23 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.89 हैक्टर है, स्व. उगम कंवर का हिस्सा 1/3 का आधा वादी संख्या 1 व आधे में 2 लगायत 4 का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार वादीगण के हक में दर्ज करवाये जाने का आदेश तहसीलदार सूरजगढ़ प्रतिवादी संख्या 19 को दिया जाये।

इसलिये वाद वादिया डिक्री किया जाता है।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 25.11.2019 को दर्ज किया गया। दिनांक 28.12.2020 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं पत्रावली को वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत दिनांक 08.01.2021 में रखी गयी। दिनांक 21.09.2021 को रणजीत सिंह द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 12.10.2021

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

नियत की गयी। दिनांक 17.03.2023 को वादीगण की और से अधिवक्ता श्री शिवराज सिंह की और से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.07.2023 को पत्रावली पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 10.07.2023 नियत की गयी। दिनांक 02.04.2024 को पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08.04.2024 को पेश हो। दिनांक 08.04.2024 को तहसीलदार पिलानी से स्व0 उगम कंवर के वारिसानो की जांच बाबत तहरीर जारी करने को आदेशित किया गया। पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट तहसीलदार पिलानी हेतु दिनांक 17.05.2024 नियत की गयी।

दिनांक 15.04.2025 को वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है एवं उक्त पत्रावली पर तहसीलदार की रिपोर्ट की आवश्यकता नही है एंव बताया कि वादी की और से स्व0 उगम कंवर के वारिसानो के संबध में शपथ पत्र पेश किया जा सकता है एवं वादी संख्या 02 की और से स्व0 उगम कंवर के वारिसानो के संबध मे शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर बहस सुनी गयी । बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात उक्त वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुडानिया तहसील सूरजगढ़ में खसरा नम्बर 239 रकबा 1.83 हैक्टर, खसरा स० 240 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा स० 249 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा स० 402 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा स० 427 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा स० 428 रकबा 0.23 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.89 हैक्टर है, स्व. उगम कंवर का हिस्सा 1/3 का आधा वादी संख्या 1 व आधे में 2 लगायत 4 का बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—173/2019
महावीर सिंह बनाम उमेश सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः— 15.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 173/2019
निर्णय दिनांकः— 15.04.2025

महावीर सिंह बनाम उमेश सिंह वगै0
दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 15.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

"वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुडानिया तहसील पिलानी में खसरा नम्बर 239 रकबा 1.83 हैक्टर, खसरा स० 240 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा स० 249 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा स० 402 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा स० 427 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा स० 428 रकबा 0.23 हैक्टर, कुल किता 6 कुल रकबा 4.89 हैक्टर है, स्व. उगम कंवर का हिस्सा 1/3 का आधा वादी संख्या 1 व आधे में 2 लगायत 4 का बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ